

**अभिलाषा एन0 मवार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिन्दवाड़ा (म0प्र0)
संशोधित कार्य विभाजन आदेश-2020**

क्रमांक / / का0वि0 / 2020

छिन्दवाड़ा, दिनांक 24.08.2020

दं0प्र0सं0 1973 की धारा 15 (2) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अभिलाषा एन0 मवार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिन्दवाड़ा जिले में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य दांडिक कार्य विभाजन आदेश माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन से निम्नानुसार किया जाता है।

यह आदेश दिनांक 26.08.2020 से प्रभावशील होगा।

जिला मुख्यालय

	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र का नाम	कार्य एवं क्षेत्राधिकार
01	श्री विनीत साकेत न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी छिन्दवाड़ा	1.थाना देहात	<p>1. आरक्षी केन्द्र देहात के क्षेत्रांतर्गत भारतीय दंड संहिता एवं अन्य विधियों के अंतर्गत उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों से संबंधित समस्त अभियोग पत्रों का विचारण, परिवाद पत्रों की जांच और विचारण करना।(घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, तथा भा0दं0सं0 की धारा 354, 354 क लगायत घ, अध्याय 20 में परिभाषित विवाह संबंधी अपराध, धारा 498ए, 509, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के प्रकरणों एवं ग्राम न्यायालय जनपद छिंदवाड़ा के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर)।</p> <p>2. उक्त आरक्षी केन्द्र एवं पुलिस चौकी से उद्भूत म0प्र0आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत 50 बल्क लीटर या उससे कम शराब के दांडिक प्रकरणों का विचारण करना।</p> <p>3. उक्त आरक्षी केन्द्र उनसे संबंधित चौकियों से उद्भूत धारा 138 परा0लि0अधिनियम से संबंधित परिवाद प्रकरणों की जांच एवं विचारण करना।</p> <p>4. खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपराध से संबंधित, (धारा 59(iii), 59(iv) एवं न्यायनिर्णायक अधिकारी के क्षेत्राधिकार नियम 5 खादय सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के अपराधों को छोड़कर) खादय सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण। ड्रग्स एवं</p>

कास्मेटिक एक्ट 1945 (फैक्ट्री अधिनियम से संबंधित उत्पन्न विवादों को छोड़कर) और श्रम कानूनों से संबंधित परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण।

5. उक्त आरक्षी केन्द्र एवं पुलिस चौकी द्वारा तामील किये गए स्थायी वारण्टों से संबंधित प्रकरण (ऐसे न्यायालयों द्वारा जारी स्थायी वारण्टों से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर जिनका या जिनके पद उत्तरवर्ती न्यायालय का वर्तमान में अस्तित्व है) का विचारण करना।

6. उक्त आरक्षी केन्द्र एवं उनसे संबंधित पुलिस चौकी के खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना।

7. आरक्षी केन्द्र देहात एवं उनसे संबंधित चौकियों तथा उक्त वन क्षेत्र से उत्पन्न वन अधिनियम, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं अन्य वन विधियों से संबंधित अभियोग पत्रों का एवं परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण करना।

8. व्यापम स्केम मैटर्स और उससे संलग्न मैटर्स सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टीगेशन दिल्ली द्वारा जांच किये जाने वाले मैटर्स **म0प्र0उच्च न्यायालय जबलपुर के नोटिफिकेशन क्रमांक C/2793/III-6-5/14 जबलपुर दिनांक 14.06.2018 के अनुसार (हेडक्वार्टर जबलपुर का क्षेत्राधिकार होने से) संबंधित प्रकरणों को छोड़कर।**

9. उक्त पुलिस चौकी की सीमाओं के अंतर्गत आने वाली नगरपालिका/नगरपंचायत से उद्भूत आपराधिक प्रकरण का निराकरण करना।

10. उक्त पुलिस चौकी के अंतर्गत श्रम विधियों एवं अन्य स्थानीय तथा विशेष विधियों से उद्भूत दाण्डिक प्रकरण जिनका कार्य विभाजन आदेश में अन्य किसी स्थान पर उल्लेख नहीं है, का विचारण करना।

11. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिन्दवाड़ा के द्वारा अंतर्गत दांडिक प्रकरणों की सुनवायी।

12. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय छिन्दवाड़ा को सूचित कर अपने थाना क्षेत्रांतर्गत चलित न्यायालय लगाना।

02 सुश्री प्रियंका सुमन,
न्या0मजि0प्र0

1.थाना कुंडीपुरा
(चौकी
धरमटेकडी)

1. आरक्षी केन्द्र कुण्डीपुरा चौकी धरमटेकडी के क्षेत्रांतर्गत भारतीय दंड संहिता एवं अन्य विधियों के अंतर्गत उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों से संबंधित समस्त अभियोग पत्रों का विचारण,

श्रेणी छिंदवाडा

- परिवाद पत्रों की जांच और विचारण करना।
2. उक्त आरक्षी केन्द्र एवं पुलिस चौकी से उदभूत म०प्र०आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत 50 बल्क लीटर या उससे कम शराब के दांडिक प्रकरणों का विचारण करना।
 3. उक्त आरक्षी केन्द्र उनसे संबंधित चौकियों से उदभूत धारा 138 परा०लि०अधिनियम से संबंधित परिवाद प्रकरणों की जांच एवं विचारण करना।
 4. खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपराध से संबंधित, (धारा 59(iii), 59(iv) एवं न्यायनिर्णायक अधिकारी के क्षेत्राधिकार नियम 5 खादय सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के अपराधों को छोड़कर) खादय सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण। ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट 1945 (**फैक्ट्री अधिनियम से संबंधित उत्पन्न विवादों को छोड़कर**) और श्रम कानूनों से संबंधित परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण।
 5. उक्त आरक्षी केन्द्र एवं पुलिस चौकी द्वारा तामील किये गए स्थायी वारण्टों से संबंधित प्रकरण (ऐसे न्यायालयों द्वारा जारी स्थायी वारण्टों से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर जिनका या जिनके पद उत्तरवर्ती न्यायालय का वर्तमान में अस्तित्व है) का विचारण करना।
 6. उक्त आरक्षी केन्द्र एवं उनसे संबंधित पुलिस चौकी के खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना।
 7. आरक्षी केन्द्र कुण्डीपुरा एवं उनसे संबंधित चौकियों तथा उक्त वन क्षेत्र से उत्पन्न वन अधिनियम, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं अन्य वन विधियों से संबंधित अभियोग पत्रों का एवं परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण करना।
 8. आरक्षी केन्द्र कोतवाली, कुण्डीपुरा, देहात, जी०आर०पी०, मोहखेड़, लावाघोड़ारी एवं उनसे संबंधित पुलिस चौकियों के क्षेत्रांतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, तथा भा०दं०सं० की धारा 354, 354 क लगायत घ, अध्याय 20 में परिभाषित विवाह संबंधी अपराध, धारा 498ए, 509, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के

प्रकरण का विचारण।

9. व्यापम स्केम मैटर्स और उससे संलग्न मैटर्स सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टीगेशन दिल्ली द्वारा जांच किये जाने वाले मैटर्स म0प्र0उच्च न्यायालय जबलपुर के नोटिफिकेशन क्रमांक C/2793/III-6-5/14 जबलपुर दिनांक 14.06.2018 के अनुसार (हेडक्वार्टर जबलपुर का क्षेत्राधिकार होने से) संबंधित प्रकरणों को छोड़कर।

10. उक्त पुलिस चौकी की सीमाओं के अंतर्गत आने वाली नगरपालिका/नगरपंचायत से उद्भूत आपराधिक प्रकरण का निराकरण करना।

11. उक्त पुलिस चौकी के अंतर्गत श्रम विधियों एवं अन्य स्थानीय तथा विशेष विधियों से उद्भूत दाण्डिक प्रकरण जिनका कार्य विभाजन आदेश में अन्य किसी स्थान पर उल्लेख नहीं है, का विचारण करना।

12. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिन्दवाड़ा के द्वारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी।

13. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय छिन्दवाड़ा को सूचित कर अपने थाना क्षेत्रांतर्गत चलित न्यायालय लगाना।

03 सुश्री निकिता
वार्ष्णेय न्यायिक
दण्डाधिकारी
प्रथम श्रेणी
छिंदवाड़ा

1-पुलिस थाना
मोहखेड (चौकी
उमरानाला)

1. थाना मोहखेड एवं पुलिस चौकी उमरानाला से उद्भूत समस्त दाण्डिक प्रकरणों का विचारण और परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण। (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, तथा भा0दं0सं0 की धारा 354, 354 क लगायत घ, अध्याय 20 में परिभाषित विवाह संबंधी अपराध, धारा 498ए, 509, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के प्रकरणों एवं ग्राम न्यायालय जनपद छिंदवाड़ा के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर)।

2. उक्त आरक्षी केन्द्र एवं पुलिस चौकी से उद्भूत म0प्र0आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत 50 बल्क लीटर या उससे कम शराब के दांडिक प्रकरणों का विचारण करना।

3. उक्त आरक्षी क्षेत्र से उद्भूत एन0आई0एक्ट की धारा 138 के अधीन दण्डनीय अपराध से संबंधित परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण करना।

4. आरक्षी केन्द्र मोहखेड एवं उससे संबंधित चौकियों तथा उक्त वन क्षेत्र से उत्पन्न वन अधिनियम एवं अन्य वन विधियों से संबंधित

अभियोग पत्रों का विचारण एवं परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण करना।

5. खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपराध से संबंधित, (धारा 59(iii), 59(iv) एवं न्यायनिर्णायक अधिकारी के क्षेत्राधिकार नियम 5 खादय सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के अपराधों को छोड़कर) खादय सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण। इग्स एवं कास्मेटिक एक्ट 1945 (फैक्ट्री अधिनियम से संबंधित उत्पन्न विवादों को छोड़कर) और श्रम कानूनों से संबंधित परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण।

6. उक्त आरक्षी केन्द्र एवं उनसे संबंधित पुलिस चौकी द्वारा तामील किये गए स्थायी वारण्टों से संबंधित प्रकरण (ऐसे न्यायालयों द्वारा जारी स्थायी वारण्टों से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर जिनका या जिनके पद उत्तरवर्ती न्यायालय का वर्तमान में अस्तित्व है) का विचारण करना।

7. उक्त आरक्षी केन्द्र एवं उनसे संबंधित चौकी के खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना।

8. व्यापम स्केम मैटर्स और उससे संलग्न मैटर्स सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन दिल्ली द्वारा जांच किये जाने वाले मैटर्स **म0प्र0उच्च न्यायालय जबलपुर के नोटिफिकेशन क्रमांक C/2793/III-6-5/14 जबलपुर दिनांक 14.06.2018 के अनुसार (हेडक्वार्टर जबलपुर का क्षेत्राधिकार होने से) संबंधित प्रकरणों को छोड़कर।**

9. उक्त आरक्षी केन्द्र एवं उनसे संबंधित चौकी की सीमाओं के अंतर्गत आने वाली नगरपालिका/नगरपंचायत से उद्भूत आपराधिक प्रकरण का निराकरण करना।

10. उक्त आरक्षी केन्द्र एवं उनसे संबंधित चौकी के अंतर्गत श्रम विधियों एवं अन्य स्थानीय तथा विशेष विधियों से उद्भूत दाण्डिक प्रकरण जिनका कार्य विभाजन आदेश में अन्य किसी स्थान पर उल्लेख नहीं है, का विचारण करना।

11. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिन्दवाड़ा के द्वारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी।

12. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय छिन्दवाड़ा को सूचित कर अपने थाना क्षेत्रांतर्गत चलित न्यायालय लगाना।

04 गुरुवेन्द्र कुमार
हुरमाडे
जे0एम0एस0सी0

पुलिस थाना
लावाघोघरी
पुलिस चौकी
सांवरी

1. पुलिस थाना लावाघोघरी पुलिस चौकी सांवरी के क्षेत्रांतर्गत भारतीय दंड संहिता एवं अन्य विधियों के अंतर्गत उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों से संबंधित समस्त अभियोग पत्रों का विचारण, परिवाद पत्रों की जांच और विचारण करना। (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, तथा भा0दं0सं0 की धारा 354, 354 क लगायत घ, अध्याय 20 में परिभाषित विवाह संबंधी अपराध, धारा 498ए, 509, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के प्रकरणों एवं ग्राम न्यायालय जनपद छिंदवाडा के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर)।
2. उक्त आरक्षी केन्द्र एवं पुलिस चौकी से उद्भूत म0प्र0आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत 50 बल्क लीटर या उससे कम शराब के दंडिक प्रकरणों का विचारण करना।
3. उक्त आरक्षी केन्द्र एवं उनसे संबंधित चौकी से उद्भूत एन0आई0एक्ट की धारा 138 के अधीन दण्डनीय अपराध से संबंधित परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण करना।
4. आरक्षी केन्द्र लावाघोघरी एवं उससे संबंधित चौकियों तथा उक्त वन क्षेत्र से उत्पन्न वन अधिनियम एवं अन्य वन विधियों से संबंधित अभियोग पत्रों का विचारण एवं परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण करना।
5. खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपराध से संबंधित, (धारा 59(iii), 59(iv) एवं न्यायनिर्णायक अधिकारी के क्षेत्राधिकार नियम 5 खादय सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के अपराधों को छोड़कर) खादय सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण। ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट 1945 (फैक्ट्री अधिनियम से संबंधित उत्पन्न विवादों को छोड़कर) और श्रम कानूनों से संबंधित परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण।
6. उक्त पुलिस चौकी द्वारा तामील किये गए स्थायी वारण्टों से संबंधित प्रकरण (ऐसे न्यायालयों द्वारा जारी स्थायी वारण्टों से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर जिनका या जिनके पद उत्तरवर्ती न्यायालय का वर्तमान में अस्तित्व है) का विचारण करना।
7. उक्त पुलिस चौकी के खात्मा प्रकरणों का

निराकरण करना।

8. व्यापक स्केम मैटर्स और उससे संलग्न मैटर्स सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ़ इनवेस्टीगेशन दिल्ली द्वारा जांच किये जाने वाले मैटर्स म0प्र0उच्च न्यायालय जबलपुर के नोटिफिकेशन क्रमांक C/2793/III-6-5/14 जबलपुर दिनांक 14.06.2018 के अनुसार (हेडक्वार्टर जबलपुर का क्षेत्राधिकार होने से) संबंधित प्रकरणों को छोड़कर।

9. उक्त पुलिस चौकी की सीमाओं के अंतर्गत आने वाली नगरपालिका/नगरपंचायत से उद्भूत आपराधिक प्रकरण का निराकरण करना।

10. उक्त पुलिस चौकी के अंतर्गत श्रम विधियों एवं अन्य स्थानीय तथा विशेष विधियों से उद्भूत दाण्डिक प्रकरण जिनका कार्य विभाजन आदेश में अन्य किसी स्थान पर उल्लेख नहीं है, का विचारण करना।

11. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिन्दवाड़ा के द्वारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवाई।

12. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय छिन्दवाड़ा को सूचित कर अपने थाना क्षेत्रांतर्गत चलित न्यायालय लगाना।

तहसील न्यायालय जुन्नारदेव

01	<p>सुश्री सुधा पाण्डे, न्या0मजि0प्र0 श्रेणी, जुन्नारदेव जिला छिंदवाड़ा श्रृखंला न्यायालय</p>	<p>1-थाना तामिया (चौकी (देलाखारी सहित) 2-माहुलझिर</p>	<p>नोट- <u>आरक्षी केन्द्र तामिया, माहुलझिर एवं उनसे संबंधित चौकियों</u> के वन क्षेत्र से उत्पन्न वन अधिनियम, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं अन्य वन विधियों से संबंधित अभियोग पत्रों का विचारण एवं परिवाद पत्रों की जांच एवं विचारण करना। (उक्त आरक्षी केन्द्रों से संबंधित क्षेत्र में पुलिस विभाग एवं वन विभाग द्वारा नेशनल पार्क क्षेत्र से उद्भूत, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1973 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए प्रस्तुत अभियोग पत्रों एवं परिवाद पत्रों को छोड़कर) (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर का क्षेत्राधिकार जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिण्डोरी, मण्डला, नरसिंहपुर, कटनी : माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक C/419 जबलपुर दिनांक 19.01.2018 के आदेशानुसार Special Tiger Strike Force Units के द्वारा पंजीकृत अपराध अंतर्गत वन्य प्राणी/वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से उद्भूत प्रकरणों को छोड़कर) (माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन</p>
----	--	--	--

कमांक C/1743/III-6-6/90 जबलपुर
दिनांक 09.01.2014 एवं
C/1864/III-6-6/90 जबलपुर दिनांक
27.04.2017 के पालन में)

Amilamba
(अभिलाषा एन० मवार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
छिन्दवाड़ा

परिशिष्ट -अ

धारा-164 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत साक्षियों एवं अभियुक्तगण के कथन/संस्वीकृतियां, निम्नानुसार उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से विवेचना अधिकारी या आरक्षी केन्द्र के भारसाधक अधिकारी के द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर विधि अनुरूप उनके समक्ष उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा लेख की जावेगी।

यही कम अनुपस्थिति की दशा में आगे कमानुसार जारी रहेगा :-

क	आरक्षी केंद्र का नाम	न्या०मजि० का नाम जो कथन लेख करेंगे।	न्या०मजि० का नाम जो कॉलम 2 में वर्णित न्या०मजि० के उपस्थित न रहने की स्थिति में कथन लेख करेंगे।	न्या०मजि० का नाम जो कॉलम 3 में वर्णित न्या०मजि० के उपस्थित न रहने की स्थिति में कथन लेख करेंगे।
1	थाना कोतवाली, जी०आर०पी०, यातायात छिंदवाड़ा	सुश्री विनीत साकेत न्या०मजि० प्र०श्रेणी, छिंदवाड़ा।	सुश्री प्रियंका सुमन न्या०मजि० प्र०श्रेणी छिंदवाड़ा।	सुश्री निकिता वार्ष्णेय, न्या०मजि० प्र०श्रेणी छिंदवाड़ा।
2	थाना देहात एवं थाना अ०जा०क०	सुश्री प्रियंका सुमन न्या०मजि० प्र०श्रेणी छिंदवाड़ा।	सुश्री निकिता वार्ष्णेय, न्या०मजि० प्र०श्रेणी छिंदवाड़ा।	श्री गुरुवेन्द्र कुमार हुरमाडे न्या०मजि० प्र०श्रेणी छिंदवाड़ा।
3	थाना कुण्डीपुरा (चौकी धरमटेकडी सहित)	सुश्री निकिता वार्ष्णेय, न्या०मजि० प्र०श्रेणी छिंदवाड़ा।	सुश्री विनीत साकेत न्या०मजि० प्र०श्रेणी, छिंदवाड़ा।	श्री गुरुवेन्द्र कुमार हुरमाडे न्या०मजि० प्र०श्रेणी छिंदवाड़ा।
4	थाना मोहखेड चौकी उमरानाला सहित	श्री गुरुवेन्द्र कुमार हुरमाडे न्या०मजि० प्र०श्रेणी छिंदवाड़ा।	सुश्री विनीत साकेत न्या०मजि० प्र०श्रेणी, छिंदवाड़ा।	सुश्री प्रियंका सुमन, न्या०मजि० प्र०श्रेणी, छिंदवाड़ा।
5	थाना लावाघोघरी चौकी सांवरी छिंदवाड़ा	सुश्री निकिता वार्ष्णेय, न्या०मजि० प्र०श्रेणी छिंदवाड़ा।	सुश्री प्रियंका सुमन, न्या०मजि० प्र०श्रेणी, छिंदवाड़ा।	सुश्री विनीत साकेत न्या०मजि० प्र०श्रेणी, छिंदवाड़ा।

Amilamba
(अभिलाषा एन० मवार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
छिन्दवाड़ा

नोट:-

1- आरक्षी केन्द्र कोतवाली, कुण्डीपुरा, देहात, जी०आर०पी०, मोहखेड, लावाघोष्टरी एवं उनसे संबंधित पुलिस चौकियों के क्षेत्रांतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, तथा भा०दं०सं० की धारा 354, 354 क लगायत घ, अध्याय 20 में परिभाषित विवाह संबंधी अपराध, धारा 498ए, 509, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार **जे०एम०एफ०सी० सुश्री प्रियंका सुमन** को है। अतः उक्त क्षेत्रों से उद्भूत उपरोक्त उल्लेखित अधिनियमों और धाराओं में 164 दं०प्र०सं० के कथन **सुश्री प्रियंका सुमन**, के अलावा क्रमानुसार सूची में दर्शित न्यायिक अधिकारी द्वारा लेख किये जायेंगे।

Amilasha
(अमिलाषा एन० मवार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
छिन्दवाडा

परिशिष्ट -ब

कॉलम नंबर-1 में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर रहने या अन्य किसी कारण से उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में कॉलम नंबर-2 में उल्लेखित, न्यायिक अधिकारी द्वारा तथा कॉलम नंबर-2 में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर रहने या अन्य किसी कारण से उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में कॉलम नंबर-3 में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी द्वारा अत्यावश्यक कार्य का संपादन किया जाएगा।

यही कम अनुपस्थिति की दशा में आगे क्रमानुसार जारी रहेगा :-

क०	कॉलम नं०-1	कॉलम नं०-2	कॉलम नं०-3
1	श्रीमती अमिलाषा एन० मवार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिन्दवाडा	श्री विनीत साकेत, न्या०मजि०प्र०श्रेणी, छिन्दवाडा	सुश्री प्रियंका सुमन, न्या०मजि०प्र०श्रेणी, छिन्दवाडा
2	श्रीमती चैनवती ताराम, न्या०मजि०प्र०श्रेणी, छिन्दवाडा	श्रीमती अमिलाषा एन० मवार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिन्दवाडा	श्री विनीत साकेत, न्या०मजि०प्र०श्रेणी, छिन्दवाडा
4	श्री विनीत साकेत, न्या०मजि०प्र०श्रेणी, छिन्दवाडा	सुश्री प्रियंका सुमन, न्या०मजि०प्र०श्रेणी, छिन्दवाडा	सुश्री निकिता वार्ष्णेय, न्या०मजि०प्र०श्रेणी छिन्दवाडा।
5	सुश्री प्रियंका सुमन, न्या०मजि०प्र०श्रेणी, छिन्दवाडा	सुश्री निकिता वार्ष्णेय, न्या०मजि०प्र०श्रेणी छिन्दवाडा।	श्री विनीत साकेत, न्या०मजि०प्र०श्रेणी, छिन्दवाडा
6	सुश्री निकिता वार्ष्णेय, न्या०मजि०प्र०श्रेणी छिन्दवाडा।	गुरुवेन्द्र कुमार हुरमाडे, न्या०मजि०प्र०श्रेणी छिन्दवाडा।	सुश्री प्रियंका सुमन, न्या०मजि०प्र०श्रेणी, छिन्दवाडा
7	गुरुवेन्द्र कुमार हुरमाडे, न्या०मजि०प्र०श्रेणी छिन्दवाडा।	सुश्री निकिता वार्ष्णेय, न्या०मजि०प्र०श्रेणी छिन्दवाडा।	श्री विनीत साकेत, न्या०मजि०प्र०श्रेणी, छिन्दवाडा

8	सुश्री संध्या मरावी, न्या0मजि0प्र0श्रेणी, अमरवाडा जिला छिन्दवाडा	सुश्री पलक राय, न्या0मजि0प्र0श्रेणी, अमरवाडा जिला छिन्दवाडा	श्री विनीत साकेत, न्या0मजि0प्र0श्रेणी, जिला छिन्दवाडा
9	सुश्री पलक राय न्या0मजि0प्र0श्रेणी, श्रृंखला न्यायालय अमरवाडा, जिला छिन्दवाडा	सुश्री संध्या मरावी, न्या0मजि0प्र0श्रेणी, अमरवाडा जिला छिन्दवाडा	सुश्री प्रियंका सुमन न्या0मजि0प्र0श्रेणी, छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा
10	श्रीमती पुष्पा तिलगाम न्या0मजि0प्र0श्रेणी, चौरई, जिला छिन्दवाडा	सुश्री भानू पंडवार न्या0मजि0प्र0श्रेणी, चौरई जिला छिन्दवाडा म0प्र0	सुश्री निकिता वार्ष्णेय, न्या0मजि0प्र0श्रेणी, छिन्दवाडा
11	सुश्री भानू पंडवार न्या0मजि0प्र0श्रेणी, चौरई जिला छिन्दवाडा म0प्र0	श्रीमती पुष्पा तिलगाम न्या0मजि0प्र0श्रेणी, चौरई, जिला छिन्दवाडा	गुरुवेन्द्र कुमार हुरमाडे, न्या0मजि0प्र0श्रेणी छिंदवाडा।

विशेष नोट:- प्रतिदिन विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यदिवस में (अन्यथा आदेशित नहीं किये जाने की दशा में) रिमाण्ड कार्यवाही प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट उपरोक्त कार्यविभाजन के अनुसार सीनियार्टी पद कम के अनुसार प्रत्येक माह में लगातार 7-7 दिन कमशः रिमाण्ड सम्पादित करेंगे तथा साक्ष्य लेखन हेतु सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया जाता है।

नोट:-

1. किन्हीं अपरिहार्य कारणवश कॉलम नं-1 के न्यायालय के अवकाश पर होने के फलस्वरूप उनके न्यायालय का अतिआवश्यक कार्य देखने वाले कॉलम क्रमांक 2 एवं 3 में लेख पीठासीन अधिकारियों के भी अवकाश पर रहने की स्थिति में परासिया न्यायालय के अत्याश्यक कार्य न्यायालय जुन्नारदेव में पदस्थ वरिष्ठ/कनिष्ठ न्यायिक अधिकारी (क्रमानुसार जो उपलब्ध हो) द्वारा तथा जुन्नारदेव न्यायालय के अत्याश्यक कार्य न्यायालय परासिया में पदस्थ वरिष्ठ/कनिष्ठ न्यायिक अधिकारी (क्रमानुसार जो उपलब्ध हो) द्वारा तथा अमरवाडा न्यायालय के अत्याश्यक कार्य न्यायालय छिंदवाडा में पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी अथवा मुख्यालय छिंदवाडा में उपलब्ध किसी भी न्यायिक अधिकारी द्वारा तथा चौरई न्यायालय के अत्याश्यक कार्य न्यायालय छिंदवाडा में पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी अथवा उपलब्ध किसी भी न्यायिक अधिकारी द्वारा तथा सौंसर न्यायालय के अत्याश्यक कार्य न्यायालय पादुर्णा में पदस्थ वरिष्ठ/कनिष्ठ न्यायिक अधिकारी द्वारा (क्रमानुसार जो उपलब्ध हो) तथा पादुर्णा न्यायालय के अत्याश्यक कार्य न्यायालय सौंसर में पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी या उपलब्ध किसी भी न्यायिक अधिकारी द्वारा सम्पादित किये जायेंगे।

2. यदि स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट जारी करने वाला न्यायालय या उनका पद उत्तरवर्ती न्यायालय अस्तित्व में है, तो गिरफ्तारी वारण्ट तामीली

पश्चात् उसी न्यायालय में प्रस्तुत किये जाएंगे। अन्य स्थितियों में स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट की तामीली जिस पुलिस थाना द्वारा की गई है, उस पुलिस थाना का कार्य देख रहे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाएंगे।

3. जिला स्थापना पर प्राप्त ऐसे आदेश/निर्णय अभिलेख प्रपत्र जो माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय एवं अन्य माननीय वरीष्ठ न्यायालयों से प्राप्त होते हैं, यदि विचारण न्यायालय या उसका पद उत्तरवर्ती न्यायालय मौजूद है तब वहां प्रस्तुत किये जायेंगे अन्य स्थितियों में परिणाम दर्ज किये जाने एवं आनुषांगिक कार्यवाहियों हेतु मुख्यालय छिंदवाडा की स्थिति में **न्या०मजि०प्र०श्रेणी श्री विनीत साकेत** के न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेंगे। तहसीलों में न्यायालय या पद उत्तरवर्ती न्यायालय के अस्तित्व में न होने की स्थिति में आवेदन वहां पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेंगे।

4. किसी भी प्रकार के विविध आवेदन, जमानत निरस्त करना, अर्थदण्ड की वापसी, आदि के संबंध में आवेदन यदि न्यायालय या उसका पद उत्तरवर्ती न्यायालय अस्तित्व में है, तो वहां प्रस्तुत किये जायेंगे। न्यायालय या पद उत्तरवर्ती न्यायालय के अस्तित्व में न होने की स्थिति में छिंदवाडा मुख्यालय में आवेदन **श्री गुरुवेन्द्र कुमार हुरमाडे न्या०मजि०प्र०श्रेणी** के न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेंगे। तहसीलों में न्यायालय या पद उत्तरवर्ती न्यायालय के अस्तित्व में न होने की स्थिति में आवेदन वहां पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेंगे।

5. किसी/किन्हीं न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थानांतरण अथवा अवकाश पर रहने की दशा में प्रभारी मजिस्ट्रेट उक्त न्यायालय के समस्त आवश्यक दाण्डिक कार्य करेंगे, जिनमें सुपुर्दगी एवं जमानत आवेदनों का निराकरण, रिमाण्ड कार्यवाही, नए प्रस्तुत संक्षिप्त विचारणीय अभियोग पत्र/परिवाद पत्रों का स्वीकारोक्ति के आधार पर निराकरण, अभियोग पत्र ग्रहण करना प्रतिलिपियों के लिए मंजूरी देना भी शामिल है। साथ ही अचानक कार्यदिवस के दौरान अवकाश घोषित होने की दशा में स्थापना एवं तहसील न्यायालय में पदस्थ सबसे **कनिष्क न्यायिक अधिकारी** उपलब्धता के अनुसार रिमाण्ड एवं अन्य कार्यवाही निष्पादित करेंगे।

अनुमोदनार्थ ।
अनुमोदित

(बी०एस०भदौरिया)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
छिंदवाडा


Agnilanka
24/08/2020
(अमिताषा एन० मवार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
छिंदवाडा

पृष्ठांकन क्र०/74 / का०वि० / 2020
प्रति,

छिन्दवाडा, दिनांक 25.08.2020

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
2. निज सहायक, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाडा।
3. माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय, एटोसिटी, छिन्दवाडा।
4. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय छिन्दवाडा।
5. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाडा।
6. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जुन्नारदेव जिला छिन्दवाडा।
7. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सौंसर
8. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सौंसर के अतिरिक्त न्यायाधीश जिला छिन्दवाडा।
9. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चौरई जिला छिन्दवाडा।
10. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अमरवाडा।
11. प्रस्तुतकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिन्दवाडा।
12. श्रीमती चैनवती ताराम, जे०एम०एफ०सी० छिन्दवाडा।
13. श्री विनीत साकेत, जे०एम०एफ०सी० छिन्दवाडा।
14. सुश्री प्रियंका सुमन, जे०एम०एफ०सी० छिन्दवाडा।
15. गुरुवेन्द्र कुमार हुरमाडे, जे०एम०एस०सी० छिन्दवाडा।
16. सुश्री निकिता वाष्णोय, जे०एम०एस०सी० छिन्दवाडा।
17. प्रतीक सिंह तोमर न्या०मजि०द्वि०श्रेणी छिन्दवाडा।
18. सुश्री शिवानी असाटी न्या०मजि०द्वि०श्रेणी छिन्दवाडा।
19. श्री प्रीतम शाह न्या०मजि०द्वि०श्रेणी छिन्दवाडा।
20. सुश्री संध्या मरावी, जे०एम०एफ०सी० अमरवाडा।
21. सुश्री पलक राय, जे०एम०एफ०सी० अमरवाडा।
22. श्रीमती पुष्पा तिलगाम, जे०एम०एफ०सी० चौरई।
23. सुश्री भानू पंडवार, जे०एम०एफ०सी० चौरई।
24. श्री जंग बहादुर राजपूत, जे०एम०एफ०सी० पांडुर्णा।
25. श्री प्रियांशु पाण्डेय, जे०एम०एस०सी० पांडुर्णा।
26. श्री रूपेश नाइक जे०एम०एफ०सी० जुन्नारदेव।
27. सुश्री सुधा पाण्डेय जे०एम०एफ०सी० जुन्नारदेव।
28. श्री अयान गिरदौनिया, जे०एम०एफ०सी० परासिया।
29. श्रीमती तबस्सुम खान, जे०एम०एफ०सी० परासिया।
30. श्री अलतमश रहमान, जे०एम०एफ०सी० परासिया।
31. श्री पुष्पराज सिंह उईके, जे०एम०एफ०सी० सौंसर।
32. श्रीमती रूपाली उईके, जे०एम०एफ०सी० सौंसर।
33. श्री राकेश कुमार मरावी, जे०एम०एफ०सी० सौंसर।
34. सांख्यिकी अनुभाग- कार्यालय जिला न्यायालय छिन्दवाडा।
35. आरक्षी केन्द्र प्रभारी, आरक्षी केन्द्र कोतवाली।
36. आरक्षी केन्द्र देहात छिन्दवाडा।
37. आरक्षी केन्द्र प्रभारी, आरक्षी केन्द्र कुंडीपुरा।
38. आरक्षी केन्द्र प्रभारी आरक्षी केन्द्र यातायात छिन्दवाडा।
39. आरक्षी केन्द्र प्रभारी, आरक्षी केन्द्र जी०आर०पी०।
40. आरक्षी केन्द्र प्रभारी, आरक्षी केन्द्र अ०जा०कं० छिन्दवाडा।
41. आरक्षी केन्द्र प्रभारी, आरक्षी केन्द्र मोहखेड।
42. पुलिस चौकी प्रभारी, पुलिस चौकी धरमटेकडी।
43. पुलिस चौकी प्रभारी, पुलिस चौकी उमरानाला।
44. आरक्षी केन्द्र प्रभारी, आरक्षी केन्द्र लावाघोघरी।
45. आरक्षी केन्द्र प्रभारी, आरक्षी केन्द्र माहुलझिर।
46. आरक्षी केन्द्र प्रभारी, आरक्षी केन्द्र तामिया।
47. पुलिस चौकी प्रभारी, पुलिस चौकी देलाखारी।

48. जिला आबकारी अधिकारी छिन्दवाड़ा ।
49. जिला खनिज अधिकारी ।
50. मुख्य वन संरक्षक छिन्दवाड़ा ।
51. उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन छिन्दवाड़ा ।
52. कलेक्टर छिन्दवाड़ा ।
53. पुलिस अधीक्षक छिन्दवाड़ा वास्ते समस्त थाना अंतर्गत पुलिस चौकियों में परिचालित कराये जाने हेतु ।
54. लोक अभियोजक छिन्दवाड़ा ।
55. कमिश्नर नगर निगम छिन्दवाड़ा ।
56. उपसंचालक लोक अभियोजन छिन्दवाड़ा ।
57. जिला अभियोजन अधिकारी छिन्दवाड़ा ।
58. सहा. लोक अभियोजन अधिकारी सौंसर/पांडुर्णा/परासिया/जुन्नारदेव/अमरवाड़ा/चौरई ।
59. अध्यक्ष अभिभाषक संघ छिन्दवाड़ा/सौंसर/पांडुर्णा/परासिया/जुन्नारदेव/अमरवाड़ा/चौरई ।


 (अभिलाषा एन0 मवार)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 छिन्दवाड़ा